बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/विविध–07–18/2015(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

डॉ० मो० ओबैद अली, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर पुन सहायक प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (औषधि विभाग) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1559 दिनाक–11 04 2003 तथा सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्राक–1270 दिनांक–17.05 2003 के द्वारा कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। विभागीय सकल्प सं०–1287(9) दिनांक–04.11.2010 द्वारा डॉ० अली के विरूद्ध दिनाक–24 04.2002 से 03 04.2005 तक कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे विभागीय कार्यवाही सचालित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–605(9) दिनाक–13 07 2015 द्वारा डॉ० अली से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। डॉ० अली से प्राप्त प्रत्युत्तर के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०–31(9) दिनांक–13 01 2021 द्वारा डॉ० मो० ओबैद अली, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग, बेतिया मेडिकल कॉलेज, बेतिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vii) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले पॉच वर्ष तक के लिए कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत करने, इस अवधि में इन्हे वेतन वृद्धि देय नहीं होने एवं उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त अवनति का प्रभाव डॉ० अली के भावी वेतनवृद्धि पर होने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4. डॉ० अली द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे समादेश याचिका सं०–17805/2023 डॉ० मो० ओबैद अली बनाम बिहार राज्य एव अन्य दायर किया गया। जिसमें दिनांक–06.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

> "12. The principle laid down in the above mentioned report is squarely applicable in the instant case. It is found from the record that the petitioner and other doctors also were absent from their duties unauthorizedly four years together. The doctors who were absent for more than the period for which the petitioner was absent were imposed minor penalties, while the petitioner was punished with major penalty contemplated in Rule 14(vii) of the Bihar Government Servants (Classification Control and Appeal) Rules, 2005. On the principle of parity, the order of punishment passed by the concerned respondents against the petitioner is not permissible. Accordingly, the order of major punishment is quashed and set aside.
>
> 13. The case is remitted back to the concerned department for imposing penalty upon the petitioner on the principle of parity shown in the cases of Dr. Shail Kumari Jha, Dr. Gayatri Singh and Dr. Gopal Prasaed.
>
> 14. The respondents are directed to take appropriate decision on the basis of the observation made hereinabove within sixty days from the date of communication of this order.
>
> 15. The instant writ petition is accordingly allowed on contest."

5. उपर्युक्त पारित आदेश के अनुपालन मे डॉ० अली द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं०–17805/2023 में दिनांक–06.08.2024 को पारित आदेश मे विभागीय अधिसूचना सं०–31(9) दिनांक–13.01 2021 द्वारा अधिरोपित शास्ति को खारिज कर दिया गया। डॉ० शैल कुमारी झा, डॉ० गायत्री सिह एव डॉ० गोपाल प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी के अनधिकृत रूप

31/12/2025 कृ०पृ०उ०

(15)

से अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश के रूप विनियमित किया गया। उसी आधार पर डॉ० अली के अनुपस्थिति अवधि दिनाक–24 04.2002 से 03 04 2005 तक को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने का अनुरोध किया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विषयगत मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० अली के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–31(9) दिनाक–13 01 2021 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए उनके अनुपस्थित अवधि दिनाक–24.04.2002 से 03 04 2005 तक को असाधारण अवकाश के रूप विनियमित करने का विनिश्चय किया गया है।

7. तद्नुसार डॉ० मो० ओबैद अली, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर पुन: सहायक प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (औषधि विभाग) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–31(9) दिनाक–13.01.2021 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए उनके अनुपस्थित अवधि दिनांक–24 04.2002 से 03 04 2005 तक को असाधारण अवकाश के रूप विनियमित एवं ससूचित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/विविध–07–18/2015(स्वा0) 1396(9) **/पटना, दिनांकः–** 31.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/बेतिया/भागलपुर, कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/बेतिया/भागलपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभगा प्रमंडल, दरभंगा/ क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/बेतिया/ भागलपुर, प्राचार्य एव अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया/ प्राचार्य एवं अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार पटना के निजी सहायक/ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डॉ० मो० ओबैद अली, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर पुनः सहायक प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (औषधि विभाग) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
31/12/2024
सरकार के अवर सचिव।